न्यायालय न्याय निर्णयन अ तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	12.06.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ओम प्रकाश सुरेश चन्द जाटों की गली मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक(राज0)। निवासी पुराना बाजार डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड—304504 मोबाईल नं0 7568938147

2—श्री बाबू टेमाणी पुत्र श्री प्रभूदयाल टेमाणी प्रोपरायटर / मालिक मैसर्स नाथूलाल टेमाणी एण्ड कम्पनी बी—7 अनाज मण्डी चांदपोल बाजार जयपुर राज0। निवासी 2ए, टेमाणी भवन हंसमार्ग जालुपुरा संसार चन्द्र रोड जयपुर राज0। पिनकोड—302001 मोबाईल नं0 7023317264

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26(2) की उप धारा (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1
अप्रार्थी सं0 2 श्री बाबूलाल टेमाणी स्वयं उप0।

:—निर्णय—:

दिनांक 12/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2022 को समय 3:31 पी.एम. पर मैसर्स ओम प्रकाश सुरेश चन्द जाटों की गली मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स ओम प्रकाश सुरेश चन्द जाटों की गली मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ गुड, तेल, घी, शक्कर, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन ने स्वयं को मैसर्स ओम प्रकाश सुरेश चन्द जाटों की गली मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक का

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एकमात्र मालिक/प्रोपरायटर होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री सुरेश चन्द जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तेल, घी शक्कर, मसाले कन्फैक्शनरी व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **तिल्ली का तेल घाणी ऑयल तिलसार एगमार्क ब्राण्ड (Seasame Oil Ghani Til Oil Tilsar Agmark Brand)** 455–455 ग्राम के 29 नग बौतल पैक दुकान में कागज के कार्टून में वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में कागज के कार्टून में रखे हुए 29 नग 455–455 ग्राम बोतल पैक **तिल्ली का तेल घाणी ऑयल तिलसार एगमार्क ब्राण्ड (Seasame Oil Ghani Til Oil Tilsar Agmark Brand)** में से 455–455 ग्राम के 4 नग मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **तिल्ली का तेल घाणी ऑयल तिलसार एगमार्क ब्राण्ड (Seasame Oil Ghani Til Oil Tilsar Agmark Brand)** 455–455 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1820 ग्राम को ज्यों का त्यों बराबर–बराबर खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3070 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3070 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ओम प्रकाश सुरेश चन्द जाटों की गली मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक (राज0) ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स नाथूलाल टेमाणी एण्ड कम्पनी बी–7 अनाज मण्डी चांदपोल बाजार जयपुर राज0 बिल प्रस्तुत कर उपरौक्त खाद्य प्रदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/731 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल0एस0/736/एक्ट/2022/778 दिनांक 08.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **तिल्ली का तेल घाणी ऑयल तिलसार एगमार्क ब्राण्ड (Seasame Oil Ghani Til Oil Tilsar Agmark Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है। अतः अप्रार्थी सं0 1 को दोष मुक्त किया जावें। निर्माता फर्म के प्रतिनिधि अप्रार्थी सं0 2 श्री बाबूलाल टेमाणी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **तिल्ली का तेल घाणी ऑयल तिलसार एगमार्क ब्राण्ड (Seasame Oil Ghani Til Oil Tilsar Agmark Brand)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक, निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **तिल्ली का तेल घाणी ऑयल तिलसार एगमार्क ब्राण्ड (Seasame Oil Ghani Til Oil Tilsar Agmark Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ कय किया है। अतः अप्रार्थी सं0 1 को दोष मुक्त किया जाता हैं तथा अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/-(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक